न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 84 / 2023

अनवान : –

1. सीताराम पुत्र नोपाराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -24/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता 0 250 / 257 की कुल 7.7140 हैक्ट भूमि में से 3 / 14 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि मे वादी का नाम सीताराम पुत्र रामलाल दर्ज है जो कि गलत है वादी के पिता का सही राम रामलाल की बजाय वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि में नोपाराम दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपने पिता का सही नाम नोपाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि वादी के नाम संशोधन बाबत विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना उचित है। रामकिशन पुत्र रामलाल द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया कि रामलाल मेरा भाई है तथा रामलाल के समस्त दस्तावेजों में वल्दीयत में नोपराम नाम दर्ज है अगर राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के वल्दियत में नोपराम दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का सीताराम पुत्र नोपाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में सीताराम पुत्र रामलाल दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपभोग–उपभोग से वंचित है। अतः राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड मे वादी का नाम सीताराम पुत्र रामलाल के स्थान पर सीताराम पुत्र नोपाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता 0 250/257 की कुल 7.7140 हैक्ट भूमि में से 3/14 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सीताराम पुत्र रामलाल दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड,, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम सीताराम पुत्र नोपाराम है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता 0 250/257 की कुल 7.7140 हैक्ट भूमि में **वादी का नाम सीताराम पुत्र रामलाल के स्थान पर सीताराम पुत्र रामलाल उर्फ नोपाराम के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सीताराम पुत्र रामलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सीताराम पुत्र रामलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सीताराम पुत्र रामलाल नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/04/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:46:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 84 / 2023

अनवान : –

1. सीताराम पुत्र नोपाराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 84 सन 2023 निर्णय दिनांक 24/04/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता 0 250 / 257 की कुल 7.7140 हैक्ट भूमि में **वादी का नाम सीताराम पुत्र रामलाल के स्थान पर सीताराम पुत्र रामलाल उर्फ नोपाराम के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सीताराम पुत्र रामलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सीताराम पुत्र रामलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सीताराम पुत्र रामलाल नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 24/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:46:49 IST
Reason: SelfAttested